GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 5917
TO BE ANSWERED ON 30.03.2026

PENSION SCHEMES

5917. SHRI RAJESH NARANBHAI CHUDASAMA:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government ensures social security and help to the retired people to live dignified lives and if so, the details thereof;
(b) whether the Government is considering Universal Pension Scheme (UPS) aimed at bringing an integrated pension provision to all sections of people, irrespective of employment status or background and if so, the details thereof;
(c) whether UPS is being implemented to simplify country's pension system and savings structure by consolidating some existing schemes, such as Atal Pension Yojana (APY) and PMSYM and if so, the details thereof;
(d) whether UPS primarily targets at unorganized sector workers, traders and self-employed individuals who do not have access to conventional pension plans; and
(e) if so, the details thereof and the time by which the Government is likely to implement the UPS?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)

(a) to (e): India has achieved a historic milestone in the realm of social protection coverage, recording one of the most significant expansions globally. According to the latest data from the International Labour Organization (ILO), India's social security coverage has increased from 19% in 2015 to 64.3% in 2025.

To ensure social security coverage of organized sector workers, the following schemes are being implemented by Employees Provident Fund Organization (EPFO).

(i) The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (EPF);

Contd..2/

(ii) The Employees' Pension Scheme, 1995 (EPS);

(iii) The Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (EDLI).

These schemes are aimed at providing comprehensive social security to organized sector workers by ensuring retirement savings, monthly pension on superannuation/disability, and insurance benefits to dependents in case of death during service.

For individuals outside the organized sector, the Government has launched various schemes, including Atal Pension Yojana (APY), Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) scheme, National Pension Scheme for Traders and Self-Employed Persons (NPS-Traders), Pradhan Mantri Kishan Maan-dhan Yojana (PMKMY) to enhance social security coverage.

Further, the Ministry of Labour and Employment had launched e-Shram portal on 26.08.2021 for creation of a Comprehensive Centralized National Database of Unorganized Workers including gig workers, platform workers, etc. The e-Shram portal is meant to register and support the unorganized workers by providing them a Universal Account Number (UAN) on a self-declaration basis. The Ministry of Labour and Employment has also launched the e-Shram- "One-Stop-Solution" that entails integration of different social security/welfare schemes at single portal i.e., e-Shram. This is envisaged to enable unorganized workers registered on e-Shram to access social security schemes and see benefits availed by them.

So far, fourteen (14) schemes of different Central Ministries/Departments have already been integrated/ mapped with the e-Shram to enhance social security coverage to unorganized workers, such as Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi (PMSVANidhi),Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme (MGNREGS), Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G), Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U), Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), One Nation One Ration Card (ONORC) and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY), etc

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5917
सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक)

पेंशन योजनाएं

†5917. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेवानिवृत्त व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सामाजिक सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार 'यूनिवर्सल पेंशन स्कीम' (यूपीएस) पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य रोजगार की स्थिति या पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बगैर सभी वर्गों के लोगों के लिए एक एकीकृत पेंशन का प्रावधान करना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूपीएस अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही (पीएम-एसवाईएम) जैसी कुछ मौजूदा योजनाओं को समेकित करके देश की पेंशन प्रणाली और बचत संरचना को सरल बनाना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यूपीएस मुख्य रूप से उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को लक्षित करता है जिनके पास पारंपरिक पेंशन योजनाओं तक पहुंच नहीं है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार यूपीएस को कब तक कार्यान्वित करेगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है, जो विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 में 19% से बढ़कर वर्ष 2025 में 64.3% हो गया है।

संगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

जारी-2/

(i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ);
(ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस);
(iii) कर्मचारी डिपोजिट लिंक्ड बीमा योजना, 1976 (ईडीएलआई)।

इन योजनाओं का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के लिए बचत सुनिश्चित की जाती है, अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने या निःशक्तता की स्थिति में मासिक पेंशन दी जाती है, तथा सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को बीमा लाभ प्रदान किए जाते हैं।

संगठित क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों के लिए, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना, व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-ट्रेडर्स), प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (पीएमकेएमवाई) सहित विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गिग कामगारों, प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों हेतु एक व्यापक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनका सहयोग करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" भी शुरू किया गया है, जिसमें एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इसकी परिकल्पना ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाने के लिए की गई है।

असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्व-निधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम (मनरेगा) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल हैं।

******